न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0 ।

1- बल्देव तनय तिलकधारी पटेल ॥मृतक॥ वारिस :- निग/3213/II/15

॥1॥ रामलोचन पटेल तनय स्व0 श्री बल्देव पटेल

॥2॥ रामसहोदर तनय स्व0 बल्देव पटेल

॥3॥ केमला उर्फ रामबहोर तनय स्व0 बल्देव पटेल

॥4॥ श्रीमती इन्द्र निया पुत्री स्व0 बल्देव पटेल

॥5॥ जगर निया पुत्री स्व0 बल्देव पटेल

दिनांक 30-9-15 को श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह अभि० द्वारा प्रस्तुत 30-9-15 SO

------ सभी निवासी ढाबा गौतमान तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 ------ आवेदक / निगरानी कर्ता गण ।

वीरेन्द्र कुमार सिंह एडवोकेट जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा (म० प्र०)

बनाम

श्रीमती रामवती पत्नी श्याम जी पटेल निवासी ढाबा गौतमान तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 --------- अना0/ गैर निगरानी कर्ता ।

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर जिला रीवा म0प्र0 के प्र0क्र057ए074/निगरानी/2010-11 पारित आदेश दिनांक 15-09-15 एवं अन्तरिम आदेश दिनांक 11-03-2014 ·

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न हैं :-

॥अ॥ यह कि उपरोक्त प्रकरण से सम्बन्धित प्रकरण पूर्व में कलेक्टर रीवा

वीरेन्द्र कुमार सिंह एडवोकेट

क्र0--

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(71)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3213-दो/15 **जिला** - रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/05/2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 57/अ-74/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हों। **(बी.एम. शर्मा)** **सदस्य**	